☎ 2527283, 2521122
2527282, 2523378

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
बरेली - 243 006 (भारत)
BAREILLY-243 006 (INDIA)

पत्रांक–रु.वि. / कु.स.का. / 2020 / 290

अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / वार्डेन
   विश्वविद्यालय परिसर
2. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक / सचिव / प्रबन्धक
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

दिनांक–28–03–2020

विषय–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में कोविड 19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिये "वर्क फ्राम होम" के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के संलग्न पत्रांक 591 / सत्तर–1–2020 दिनांक 27 मार्च, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र में कोविड– 19 के व्यापक प्रसार को देखते हुये शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए "वर्क फ्राम होम" के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है–

1. शिक्षण संस्थानों में संचालित परीक्षायें एवं मूयांकन कार्य दिनॉक 14–04–2020 तक स्थगित रखी जाय।
2. शिक्षण संस्थाओं के फैकल्टी मेम्बर्स / शिक्षकों / शोधार्थियों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 14–04–2020 तक "वर्क फ्राम होम" की अनुमति दी जाय।
3. शिक्षण संस्थाओं के फैकल्टी मेम्बर्स / शिक्षकों / शोधार्थियों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा यथा–

   (क) आनलाइन पाठ्य सामग्री तैयार करना, आनलाइन शिक्षण कार्य व आनलाइन मूल्यॉकन कार्य करना।

   (ख) लेसन प्लान तैयार करना और शिक्षण सामग्री आगामी शैक्षणिक सत्र / सेमेस्टर के लिये तैयार करना।

   (ग) शोध कार्य जारी रखना।

   (घ) अर्टिकिल, पत्र इत्यादि लिखना।

   (ड़) प्रश्न कोष के लिये नवाचारी प्रश्नों को तैयार करना।

(च) "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के सम्बन्ध में नवाचारी प्रोजेक्ट तैयार करना।

4. फैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा तदर्थ एवं संविदा शिक्षकों, जिनकी संविदा दिनांक 14–04–2020 तक वैध है, की उपरोक्त अवधि सेवावधि के रुप में गणना की जायेगी।
5. जों छात्र, विशेष रुप से विदेशी छात्र छात्रावासों में अभी भी निवास कर रहें है, वे अपने छात्रावासों में रहेंगें और आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करेगें।
6. फैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा अपने सम्पर्क सूत्र यथा मोबाइल नम्बर/ई–मेल आदि अपनी संस्थाओं को उपलब्ध करायेंगे ताकि उनसे विशेष परिस्थितियों में सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

Pandey

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. परीक्षा नियंत्रक, एम0जे0पी0 रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
3. सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि अपने सम्मानित समाचार पत्र में उक्त सूचना निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
5. प्रभारी बेबसाइट।

कुलसचिव

संख्या— 591/सत्तर—1—2020

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
प्रयागराज।

2—समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3—कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश

4—कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश

उच्च शिक्षा अनुभाग—1 लखनऊ : दिनॉक— 27 मार्च, 2020

विषय— उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में कोविड 19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिये ''वर्क फ्राम होम'' के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में श्री अमित खरे, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनॉक 21.03.2020 की छाया प्रति संलग्न प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भित पत्र में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिये ''वर्क फ्राम होम'' के सम्बन्ध में निम्न दिशा—निर्देशो का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें—

1— शिक्षण संस्थानों में संचालित परीक्षायें एवं मूल्यांकन कार्य दिनॉक 14.04.2020 तक स्थगित रखी जाय।

2—शिक्षण संस्थाओं के फैकल्टी मेम्बर/शिक्षको/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनॉक 14.04.2020 तक ''वर्क फ्राम होम'' की अनुमति दी जाय।

3— शिक्षण संस्थाओं के फैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा यथा—

(क) आनलाइन पाठ्य सामग्री तैयार करना, आनलाइन शिक्षण कार्य व आनलाइन मूल्यॉकन कार्य करना।

(ख) लेसन प्लान तैयार करना और शिक्षण सामग्री आगामी शैक्षणिक सत्र/सेमेस्टर के लिये तैयार करना।

(ग) शोध कार्य जारी रखना।

(घ) अर्टिकिल, पत्र इत्यादि लिखना।

(ड) प्रश्न कोष के लिये नवाचारी प्रश्नो को तैयार करना।

(च) ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' के सम्बन्ध में नवाचारी प्रोजेक्ट तैयार करना।

4— फैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा तदर्थ एव संविदा शिक्षको, जिनकी संविदा

दिनॉक 14.04.2020 तक वैध है, की उपरोक्त अविध सेवावधि के रूप में गणना की जायेगी।

5– जो छात्र, विशेष रूप से विदेशी छात्र छात्रावासों में अभी भी निवास कर रहें है, वे अपने छात्रावासों में रहेंगें और आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करेंगें।

6– फैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा अपनें सम्पर्क सूत्र यथा मोबाइल नम्बर/ई मेल आदि अपनी संस्थाओं को उपलब्ध करायेंगे ताकि उनसे विशेष परिस्थितियों में सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

27/3

(मोनिका एस0गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–591(1)/सत्तर–1–2020 तददिनॉक

श्री अमित खरे, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनॉक 21.03.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(मोनिका एस0गर्ग)
प्रमुख सचिव।